केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मनिरका
नई दिल्ली – 110067

सचिका सं.CICOM/R/2018/00602

दिनांक 15.06.2018

सेवा में,

श्री अशोक प्रसाद सिंह,
ग्राम – छोटा दुर्गापुर,
पो0 – बड़ा दुर्गापुर, जिला – साहेबगंज,
झारखंड- 816116.

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 04.06.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो दिनांक 12.06.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 136851) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 13.06.2018 को प्राप्त हुआ, से संबंधित बिंदुवार सूचना निम्नलिखित है:-

बिंदु सं. 1, 5, 6	केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेशों/निर्णयों का विषय वार (अलग-अलग) संकलन नहीं किया जाता है, साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि आयोग के आदेश/निर्णय आयोग की वेबसाईट www.cic.gov.in पर उपलब्ध हैं, जहाँ से अपनी जरूरत के अनुसार आदेश/निर्णय की प्रति प्राप्त की जा सकती है ।
बिंदु सं. 2	वांछित सूचना प्रदान करने हेतु आवेदन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को अग्रसारित किया गया है ।
बिंदु सं. 3	वांछित सूचना आयोग की वेबसाईट www.cic.gov.in के लिंग http://cic.gov.in/cic-profile पर उपलब्ध है ।
बिंदु सं. 4	वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है ।
बिंदु सं. 7	सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केवल केन्द्रीय सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों/विभागों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष – 011-26162290 पर की जा सकती है ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
19 JUN 2018
D. No.........
Initials.........

अशोक कु शर्मा

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष – 011-26172690

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत अग्रसारित :-

1	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षणा विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110001.	बिंदु सं. 2	उक्त आवेदन दिनांक 15.06.2018 को आर.टी.आई.-एम.आई.एस. के द्वारा ऑलाइन अग्रसारित किया जा चुका है । कृपया वांछित सूचना निर्धारित अवधि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि वांछित सूचना आपसे संबंधित नहीं है तो कृपया संबंधित अधिकारी को अग्रसारित करें ।